न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 103/2026

नामदेव फिनवेस्ट प्रा0 लि0 रजिस्टर्ड पता नामदेव हाउस प्लॉट नं0 21 नीर सागर ए0 भांकरोटा, जयपुर जरिये ऑथराइज्ड ऑफिसर मंगल चन्द यादव

–– प्रार्थी

बनाम

1. मंजीत सिंह पुत्र श्री सर्दुल सिंह, पता काजड़ा, तहसील, सूरजगढ़ झुंझुनूं।
2. मंतु कुमारी पत्नी श्री मंजीत सिंह पुत्र श्री सार्दुल सिंह, पता काजड़ा, तहसील सूरजगढ, झुंझुनूं।
3. विवेकानन्द पब्लिक स्कूल जरिये सेक्रेटरी मंजीत सिंह, पता काजड़ा, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं
4. अशोक कुमार पुत्र श्री रामावतार, पता (1) काजड़ा, तहसील सूरजगढ, झुंझुनूं।

–– अप्रार्थीगण

––

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट 2002 बाबत।

1. सम्पत्ति स्थित खसरा नं0 104, 105, 106, 109, 549/105, 544/108, 546/109 ग्राम काजड़ा, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं कुल क्षेत्रफल 1200 वर्गमीटर जिसके उत्तर में खसरा नं0 548/105 दक्षिण में खसरा नं0 106 व जांगिड़ अतिथि भवन पूर्व में आम रास्ता व दक्षिण में खसरा नं0 106
2. पट्टा नं0 822 स्थित खसरा नं0 548/105 ग्राम काजड़ा, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं कुल क्षेत्रफल 1100 वर्गमीटर जिसके उत्तर में पिंकी देवी की भूमि दक्षिण में विवेकानन्द पब्लिक स्कूल पूर्व में आम रास्ता व दक्षिण में पिंकी देवी की भूमि
   पर स्थिति सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलवाये जाने बाबत।

––

उपस्थितः–
एडवोकट श्री कंचन सिंह चौधरी – प्रार्थी की ओर से

आदेश

दिनांक 19.03.2026

प्रार्थी नामदेव फिनवेस्ट प्रा0 लि0 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी कम्पनी कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत एक पंजीकृत कम्पनी है तथा सिक्योरिटाईजेशन एक्ट की धारा 2 (एम) के अन्तर्गत एक वित्तीय संस्था है जिसका रजिस्टर्ड पता नामदेव हाउस प्लॉट नं0 21 नीर सागर ए0 भांकरोटा जयपुर है। श्री मंगलचंद यादव प्रार्थी कम्पनी की ओर से उक्त प्रकरण को प्रस्तुत करने के लिए ऑथराइज्ड ऑफिसर है एवं प्रकरण के समस्त तथ्यों से वाकिफ है। श्री मंगलचन्द यादव के हक में प्रार्थी कम्पनी द्वारा दिनांक 03.08.2024 को पावर ऑफ अटार्नी पारित की गई जिसकी प्रति प्रार्थना के साथ संलग्न है। प्रार्थी कम्पनी विधिनुसार सिक्योरिटाईजेशन एक्ट की धारा 2(एम) के अन्तर्गत एक वित्तीय संस्था है तथा जरिये गजट नोटिफिकेशन संख्या S.O. 662(E) dated 12-02-2021 के जरिये यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत है। नोटिफिकेशन की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। अप्रार्थीगण द्वारा कम्पनी से जरिये ऋण अनुबंध संख्या 139043 & 139048 से कुल 8674341/– रुपये की वित्तीय सुविधा प्राप्त की थी। ऋण अनुबंध पत्र की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। उक्त ऋण को प्राप्त करने हेतु अप्रार्थीगण द्वारा अपनी सम्पत्ति (1) सम्पत्ति स्थित खसरा नं0 104, 105, 106, 109, 549/105, 544/108, 546/109 ग्राम काजड़ा, तहसील सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं कुल

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

क्षेत्रफल 1200 वर्गमीटर जिसके उत्तर में खसरा नं0 548/105 दक्षिण में खसरा नं0 106 व जांगिड़ अतिथि भवन पूर्व में आम रास्ता व दक्षिण में खसरा नं0 106 व जांगिड़ अतिथि भवन भवन पूर्व में आम रास्ता व दक्षिण में खसरा नं0 106 (2) पट्टा नं0 822 स्थित खसरा नं0 548/105 ग्राम काजड़ा, तहसील सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं कुल क्षेत्रफल 1100 वर्गमीटर जिसके उत्तर में पिंकी देवी की भूमि दक्षिण में विवेकानन्द पब्लिक स्कूल पूर्व में आम रास्ता व दक्षिण में पिंकी देवी की भूमि पर स्थित को मोरगेज किया गया था। अप्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त वित्तीय सुविधा का ऋण अनुबंध पत्र में वर्णित शर्तों के अनुसार भुगतान नहीं किया गया तथा अप्रार्थीगण द्वारा अपनी किश्तों का नियमानुसार भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण के उपरोक्त वर्णित खाते दिनांक 05.12.2025 को विधिनुसार एनपीए घोषित कर दिया गया। प्रार्थी कम्पनी द्वारा उक्त खाते को एनपीए घोषित करने के उपरान्त विधिनुसार अप्रार्थीगण को सिक्योरिटाईजेशन एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस दिनांकित 15.12.2025 को प्रेषित कर अप्रार्थीगण से दिनांक 05.12.2025 तक कुल ब्याज राशि 10799227/–रुपये व भुगतान की तिथि तक की अतिरिक्त बकाया राशि मय ब्याज की मांग की गई। उक्त नोटिस अप्रार्थीगण पर तामील हो गये। इस प्रकार अप्रार्थीगण को उक्त नोटिस की तामील हो गई। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस के विरुद्ध कोई आपत्ति नहीं ली गई ना ही प्रार्थी कम्पनी की ऋण राशि को अदा किया गया। प्रार्थी कम्पनी द्वारा सिक्योरिटाईजेशन एक्ट के अनुसार समस्त कार्यवाही विधिनुसार की गई है तथा उसके उपरान्त भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी कम्पनी की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया है इसएिल प्रार्थी कम्पनी अप्रार्थीगण (1) सम्पत्ति स्थित खसरा नं0 104, 105, 106, 109, 549/105, 544/108, 546/109 ग्राम काजड़ा, तहसील सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं कुल क्षेत्रफल 1200 वर्गमीटर जिसके उत्तर में खसरा नं0 548/105 दक्षिण में खसरा नं0 106 व जांगिड़ अतिथि भवन पूर्व में आम रास्ता व दक्षिण में खसरा नं0 106 व जांगिड़ अतिथि भवन भवन पूर्व में आम रास्ता व दक्षिण में खसरा नं0 106 (2) पट्टा नं0 822 स्थित खसरा नं0 548/105 ग्राम काजड़ा, तहसील सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं कुल क्षेत्रफल 1100 वर्गमीटर जिसके उत्तर में पिंकी देवी की भूमि दक्षिण में विवेकानन्द पब्लिक स्कूल पूर्व में आम रास्ता व दक्षिण में पिंकी देवी की भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त करने की अधिकारिणी है ताकि प्रार्थी कम्पनी उक्त सम्पत्ति को विधिनुसार नीलाम करके अपनी ऋण राशि वसूल कर सके। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से नम्र निवेदन है कि प्रार्थी कम्पनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे तथा अपने अधीनस्थ अधिकारी अथवा कमिश्नर को नियुक्त किया जाकर प्रार्थना पत्र में वर्णित (1) सम्पत्ति स्थित खसरा नं0 104, 105, 106, 109, 549/105, 544/108, 546/109 ग्राम काजड़ा, तहसील सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं कुल क्षेत्रफल 1200 वर्गमीटर जिसके उत्तर में खसरा नं0 548/105 दक्षिण में खसरा नं0 106 व जांगिड़ अतिथि भवन पूर्व में आम रास्ता व दक्षिण में खसरा नं0 106 व जांगिड़ अतिथि भवन भवन पूर्व में आम रास्ता व दक्षिण में खसरा नं0 106 (2) पट्टा नं0 822 स्थित खसरा नं0 548/105 ग्राम काजड़ा, तहसील सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं कुल क्षेत्रफल 1100 वर्गमीटर जिसके उत्तर में पिंकी देवी की भूमि दक्षिण में विवेकानन्द पब्लिक स्कूल पूर्व में आम रास्ता व दक्षिण में पिंकी देवी की भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त कर प्रार्थी कम्पनी के ऑथराईज ऑफिसर को सुपुर्द किये जाने के आदेश प्रदान पारित करने की कृपा करें एवं यदि उक्त सम्पत्ति बंद पाई जाती है तो अपने अधिनस्थ अधिकारी/कमिश्नर को आदेशित किया जावे कि उक्त सम्पत्ति के ताले तोड़कर उक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त कर प्रार्थी कम्पनी के प्राधिकृत अधिकारी को सुपुर्द किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए उचित समझे।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी का ऋण नही चुकाया गया है। अप्रार्थी को प्रार्थी द्वारा नियमानुसार एन0पी0ए0 घोषित किया जा चुका है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को प्रतिभूति सम्पत्ति का कब्जा दिलवाये जाने का निवेदन किया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार कर उपरोक्त गिरवीकृत अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा बैंक को दिलवाया जावे जिससे अधिनियम के प्रावधानुसार सम्पत्ति को बेचकर बकाया ऋण की वसूली की जा सके।

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

हमने प्रार्थी नामदेव फिनवेस्ट प्रा0 लि0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी नामदेव फिनवेस्ट प्रा0 लि0 द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी नामदेव फिनवेस्ट प्रा0 लि0 की ऋण राशि का भुगतान नही किया गया है।

पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी नामदेव फिनवेस्ट प्रा0 लि0 द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी नामदेव फिनवेस्ट प्रा0 लि0 की ऋण राशि का भुगतान नही किया गया है। पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी नामदेव फिनवेस्ट प्रा0 लि0 के साथ हुये अनुबन्ध के अनुसार ऋण राशि को चुकाने में विफल रहें है। अतः अप्रार्थीगण/ऋणी, गारन्टर को व्यक्तिक्रमी मानते हुये प्रार्थी नामदेव फिनवेस्ट प्रा0 लि0 द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिक्न्स्ट्रकशन ऑफ फाइनेन्शियल एसेटस एण्ड एनफोंसमेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुये बंधक रखी गई अचल संपति (1) सम्पत्ति स्थित खसरा नं0 104, 105, 106, 109, 549/105, 544/108, 546/109 ग्राम काजड़ा, तहसील सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं कुल क्षेत्रफल 1200 वर्गमीटर जिसके उत्तर में खसरा नं0 548/105 दक्षिण में खसरा नं0 106 व जांगिड़ अतिथि भवन पूर्व में आम रास्ता व दक्षिण में खसरा नं0 106 व जांगिड़ अतिथि भवन भवन पूर्व में आम रास्ता व दक्षिण में खसरा नं0 106 (2) पट्टा नं0 822 स्थित खसरा नं0 548/105 ग्राम काजड़ा, तहसील सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं कुल क्षेत्रफल 1100 वर्गमीटर जिसके उत्तर में पिंकी देवी की भूमि दक्षिण में विवेकानन्द पब्लिक स्कूल पूर्व में आम रास्ता व दक्षिण में पिंकी देवी की भूमि है का पजेशन प्रार्थी नामदेव फिनवेस्ट प्रा0 लि0 को जरिये संबंधित पुलिस थाना की इमदाद से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू को प्रेषित कर लेख है कि प्रार्थी नामदेव फिनवेस्ट प्रा0 लि0 के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध करावें।

आदेश आज दिनांक 19.03.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं